1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 20/2019
प्रकरण दर्ज – 20.09.2019
प्रकरण निस्तारण – 13.01.2020

उनवानी प्रकरण

शम्भु पुत्र गणेश जाति बैरवा (बलाई) निवासी भक्तों की ढाणी, कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

–प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र गंगाधर
2. कानाराम पुत्र बिरदीचन्द
   जाति मीना निवासी नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0

निर्णय दिनांक –13.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 3726, 3727 वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे स्थित है जिसमे प्रार्थी के रिहायशी मकानात एवं रामदेव का मन्दिर स्थित है जिसमे सैकडों श्रद्धालु आते हैं। उक्त भूमि मे स्थित मन्दिर मे आवागमन हेतु विधायक कोष से तीन लाख रूपये स्वीकृत हुये हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि व मुख्य सडक के मध्य अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 127 व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नंबर 191/116 है जिससे प्रार्थी की उक्त भूमि मे आवागमन हेतु करीब कई वर्षों से रास्ता चालू था जिसको लगभग एक माह पूर्व अप्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर जोत लगाकर प्रार्थी व अन्य श्रद्धालुओं का आवागमन अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थी व अन्य श्रद्धालु भक्तजन रामदेव के मन्दिर मे जाने से वंचित हो रहे हैं व विधायक कोष से स्वीकृत सी.सी. रोड व निर्माण भी अटका पडा है। इसके लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। खसरा नंबर 3726 व 3727 वाके कस्बा लालसोअ मे सिति रिहायशी माकानात एवं रामदेव के मन्दिर मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 127 व 191/116 वाके ग्राम नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट मे से उचित रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सीबी सिंह एडवोकेट उपस्थित आये। दिनांक 8.9.2015 को तहसीलदार लालसोट से वादग्रस्त भूमि की मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 21.9.2015 को रिपोर्ट प्रसतुत की गई। दिनांक 7.10.2015 को अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के सभी चरणों को असत्य होना अंकित किया। दिनांक 2.11.2015 को तहसीलदार लालसोट से पुनः अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते के आदेश की पालना मे रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात पत्रावली माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक 3090–91 दिनांक 16.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी लालसोट से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारों की तलवी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री उमेश गौड एडवोकेट उपस्थित आये। दिनांक 19.2.2016 को उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। मूल प्रकरण संख्या 45/2015 पर दिनांक 15.6.2018 को इस न्यायालय यह निर्णय पारित किया गया कि तहसीलदार लालसोट की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.5.2018 एवं पत्रावली मे पटवारी हल्का की पूर्व रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से इसका खण्डन नही किया गया है। खसरा नंबर 191/116 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नंबर 127 रकबा 0.01 है0 मे से 50 गट्ठे व 10 गट्ठे क्रमशः 60 गट्ठे का रास्ता प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. की राशी खसरा नंबर 191/116 रकबा 0.05 है0 मे से 134010/–रूपये एवं खसरा नंबर 127 रकबा 0.01 है0 की राशी 26802/–रूपये कुल 160812/–रूपये खातेदार क्रमशः कानाराम पुत्र बिरदीचन्द मीना व जगदीश पुत्र गंगाधर को प्रदान करने पर तहसीलदार लालसोट को रिकार्ड मे रास्ते का अंकन करें। इस निर्णय की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2018 को अप्रार्थीगण की रास्ते की भूमि निर्णीत क्षतिपूर्ति राशी तहसीलदार लालसोट के कार्यालय मे जमा करा दी थी। किन्तु तहसीलदार लालसोट द्वारा तब तक उक्त रास्ते सम्बन्धित इन्द्राज रास्व रिकार्ड मे अंकित नही किये थे। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा की गई अपील मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील मे दिनांक 11.1.2019 के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश को अपास्त कर पुनः नियमानुसार जांच रिपोर्ट ली जाकर दोनो पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पत्रावली को रिमाण्ड किया गया। उक्त राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे रिट पिटीसन दायर की गई जिसमे भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय को पुष्ट किया गया। तथा गई। पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार तहसीलदार लालसोट से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जो न्यायालय हाजा मे दिनांक 19.11.2019 को प्रापत होने पर शामिल पत्रावली की गई तथा प्रकरण मे उभयपक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उन्हे सुना गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये आगे कथन किया कि प्रार्थी को पुनर्भरण राशी जमा कराने के उपरान्त भी प्रार्थी को रासता नही मिला तथा न्यायालय के निर्णय की पालना मे प्रतिरोध स्वरूप अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.10.2018 के बाद उक्त निर्णीत रास्ते पर अवैध निर्माण कार्य कर लिया

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

जो अवैध है उसे तुडवाया जाकर प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता दिलवाया जाकर चालू करवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा कथन किया कि प्रार्थी की भूमि दूसरे राजस्व ग्राम मे है तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई है तथा उस पर सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश भी हैं। ऐसी सूरत मे प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पटवारी गिरदावर एवं तहसीलदार की रिपोर्टों का अवलोकन करने पर यह तथ्य भली भांति साबित है कि प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहुंचने का कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा सबसे नजदीक आम रासते से जोडने का एकमात्र वैध विकल्प अप्रार्थीगण की आराजी से होकर रास्ता एक मात्र विकल्प है जिसमे दूसरे राजस्व गांव की भूमि होना धारा 251 क आर.टी. ए. के तहत निर्बन्धन नही है। तहसीलदार लालसोट द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.11.2019 के अनुसार प्रार्थी को अन्य रास्ते का विकल्प का कोई अंकन नही है। स्थगन आदेश का अंकन है किन्तु स्थगन आदेश की प्रति संलग्न नही है जिससे यह साबित हो कि वह प्रकरण मे लागू है या नही है। साथ ही उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उनके द्वारा पूर्व मे निर्णीत एवं प्रस्तावित रास्ते मे 20 X 15 वर्गफीट का पक्का निर्माण एवं एक कच्चे रूपी आवास का वर्णन किया है जबकि पूर्ववर्ती समस्त मौका रिपोर्ट मे उक्त निर्माण कच्चा या पक्का मौके पर मौजूद होने का उल्लेख नही है ना ही अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र मे ऐसे किसी निर्माण का उल्लेख किया है। ऐसी सूरत मे यह स्पष्ट तौर पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्माण न्यायालय के निर्णय की पालना के प्रतिरोध स्वरूप किया गया है जो अवैध निर्माण की श्रेणी मे आता है। अन्य कोई प्रतिकूल कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के विरूद्ध पत्रावली पर मौजूद नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट दिनांक 11.5.2018 एवं दिनोक 14.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता जो कि अप्रार्थीगण 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 191/116 एवं खसरा नंबर 127 ग्राम नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट मे क्रमशः 2 X 50 = 100 वर्ग गट्ठा एवं 2 X 10 = 20 वर्ग गट्ठा का राजस्व रिकार्ड मे बतौर गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर मौके पर जाकर उक्त रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर रास्ते को सुचारू रूप से चालू करावे (अप्रार्थीगण अपनी क्षतिपूर्ति राशी जो प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय लालसोट मे जमा करा दी गई है उसे नियमानुसार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं)। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मयनिर्णय मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट को प्रषित हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/1/2020

हर्षित कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी, सिकराय।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner